



2321

दूरभाष - 2206709
2206710

नव घेता केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 1737 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 28 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-हरदोई।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित पिवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	407702010042126	IFSC Code UBIN0540773	9.208
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वार्ड/वार्ड का नाम	प्रथम फिला की धनराशि का प्रेषण
1	हरदोई	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा० परि० हरदोई	वार्ड नं० ०५ मो० लालतापुरवा में रामगांज के मकान से कोशल कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.283
2	हरदोई	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा० परि० हरदोई	वार्ड नं० ०५ मो० लालतापुरवा में बलभद्र वर्मा के मकान से हरदेव राजा के पूजनीय रथान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.188
3	हरदोई	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा० परि० हरदोई	वार्ड नं० ०५ मो० लालतापुरवा में रामसनेही वर्मा के मकान से स्व० मुन्ना तथा मुन्नालाल वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.978
4	हरदोई	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा० परि० हरदोई	वार्ड नं० ०५ मो० ज्यातिनगर पेंनीपुरवा में खुशीराम के मकान से शारदा कुगार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.281
5	हरदोई	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा० परि० हरदोई	वार्ड नं० ०५ मो० ज्यातिनगर पेंनीपुरवा में रामनाथ वर्मा के मकान से गुड़दू के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.335
6	हरदोई	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा० परि० हरदोई	वार्ड नं० ०५ मो० महोलिया शिवपार में श्रीपाल के मकान से नरायण के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.143
	योग				9.208

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

1— उ०पा० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।



232/2

दूरध्वम्— 2280700
2280710

नव घोना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226010

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टैकअप न कर लिया जाये।
प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सहाम स्तर से तकनीकी स्तीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्तीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय पन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के रात्य गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रसीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
प्रश्नगत परियोजनाओं में रसीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुद्धित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निहित मद में व्यय की जाएगी एवं स्तीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि ये प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से पूर्ण हो जायें। प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य य रसानीय करों की दस्तों पर कटीती रामबन्दी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
अपमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्तीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अपमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त ऑफेट कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैशावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य रोन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भीतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतीतिवापि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।।
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक